ग्रामीण उद्योग व उद्यमिता का बदलता स्वरूप

पूनम पाण्डेय
गाजीपुर, उत्तर प्रदेश

भारत की जनसंख्या दिन–प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। फलस्वरूप, खाद्यान्न की समस्या और बढ़ती महंगाई के कारण बड़े परिवारों का सुचारू रूप से पालन–पोषण करना एक ही कमाऊ व्यक्ति के वश की बात नहीं रह गई है। यदि ग्रामीण आंचल में झांकें तो हम पाते हैं, कृषि में ग्रामीण युवाओं को वर्षभर काम नहीं मिल पाता जिसके फलस्वरूप उन्हें अर्ध–बेरोजगारी की समस्या का सामना करना पड़ता है। ग्रामीण स्तर पर रोजगार की अनुपब्लधता के कारण ग्रामीण युवा प्रायः गांव को छोड़ कर आस–पास के शहरों में रोजगार की तलाश में चले जाते हैं, जहाँ उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

भारतीय युवाओं की नौकरी करने की मूल मानसिकता ने रोजगार की समस्या को और अधिक विकराल बना दिया है। सभी को नौकरी मिलना संभव नहीं है। इन विषम परिस्थितियों में एक ही रास्ता है जो कि सारी समस्याओं का निदान कर सकता है, वह है उद्यमिता विकास। अतः आज आवश्यकता इस बात की है कि हमारे युवा वर्ग एक सफल उद्यमी का सपना संजोए और रोजगार के लिए दूसरों की ओर न देखे बल्कि खुद दूसरों को रोजगार देने वाले बने। इसके लिए युवा वर्ग को तकनीकी क्षेत्र में आगे आकर दक्षता हासिल करना जरूरी है। उद्यमिता विकास के लिए आवश्यक है कि हम अपने अंदर उद्यमी व्यक्ति के गुणों को बढ़ायें। उद्यमी एक क्रियाशील प्राणी है जो विशेष कार्य, खासतौर उद्यम संबंधित कार्य को क्रियान्वित करने की पहल करता है। उद्यमी बनना एक व्यक्तिगत कौशल है जिसका संबंध जाति, धर्म, और समुदाय से नहीं रहता है। उद्यमी बनने में स्वयं व्यक्ति की अहम भूमिका होती है। ऊँची उपलब्धि की चाह रखने वाला व्यक्ति उद्यमी बनने का रास्ता स्वतः खोज लेता है।

अब गांव–देहात बस खेती–बाड़ी तक ही सीमित नहीं रहे। हालांकि यहां उद्योग का मतलब वो उद्यम नहीं जिसमें बड़ी पूंजी लगी हो, बड़े उद्यमी जुड़े हों, बड़ी संख्या में लोग काम करते हों और एक बड़ा–सा कारखाना हो। ग्रामीण इलाके में उद्योग का अपना ही स्वरूप है। ग्रामीण औद्योगीकरण, विकास के अनेक लक्ष्यों को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। रोजगार सृजन और गरीबी उन्मूलन में इसकी अहम भूमिका रही है। ग्रामीणों की भागीदारी बढ़ाने के लिए विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में तेजी लाकर ग्रामीण औद्योगीकरण की रफ्तार में वृद्धि की जा सकती है। भारत में पहली पंचवर्षीय योजनाओं से ही नीति निर्माताओं ने हमेशा ग्रामीण औद्योगीकरण को योजना के केंद्र में रखा है। पिछले कुछ वर्षों से सरकार की प्राथमिकता ग्रामीण उद्योगों के संरक्षण के बजाय उनका विकास और संवर्धन बन गई है। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में होने वाली प्रगति और भारत में स्टार्टअप संस्कृति के तेजी से बढ़ने के साथ सरकार ने नवीन प्रौद्योगिकी से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने का बीड़ा उठाया है।

उद्यमिता कैसे बढ़े

कहते हैं किसान से बड़ा कोई प्राकृतिक उद्यमी नहीं होता, क्योंकि वह हर तरह की पूंजी–मानवीय व भौतिक कृषि में निवेश करता है। जोखिम उठाने से वह नहीं हिचकता और धैर्य की उसमें कोई कमी नहीं होती। और तो और अनिश्चितता से निपटने के लिए बिना किसी प्रबंधन संस्थान में गए बेहतर रणनीति बनाने में माहिर होता है। इसलिए उसे गैर कृषि उद्यमों के लिए भी तैयार किया जा सकता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में ग्रामीण उद्यम की भूमिका को दो तरीकों से समझा जा सकता है।

1. कुल आबादी में गांव की हिस्सेदारी।
2. कुल सकल मूल्य वर्धन में कृषि व संबंधित गतिविधियों की भागेदारी।

प्रथम तकनीक के अंतर्गत गौर करने की बात यह है कि 2011 की जनगणना के मुताबिक कुल आबादी में ग्रामीण आबादी की भागेदारी 68.84% है। कुल कार्यबल का 54.8% कृषि व सहयोगी गतिविधियों में संलग्न है। वहीं दूसरी तकनीक के अन्तर्गत यह जानना जरूरी है कि 2021–22 में सकल मूल्यवर्धन में कृषि की हिस्सेदारी 18.8% है। यहां यह स्पष्ट है कि प्रथम तकनीक के अंतर्गत दो तिहाई से ज्यादा आबादी और आधे से ज्यादा श्रम शक्ति गांव में होने के कारण वहां पर उद्यम को बढ़ावा देना अवश्यक है क्योंकि इससे अर्थव्यवस्था में तेजी आ सकती। इसका कारण स्पष्ट है कि इस तकनीकी से गांव में एक सस्ता श्रम उपलब्ध होगा और साथ ही स्थानीय उत्पादों के लिए मांग में वृद्धि होगी। दूसरा यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि जोत का आकार लगातार छोटा होता जा रहा है और आज की तारीख में 86% किसानों के जोत का आकार दो हेक्टेयर से भी कम का है। अब ऐसे में खेती–बाड़ी के अतिरिक्त ऐसे ग्रामीणों के लिए ग्रामीण उद्योग अत्यधिक सहायक सिद्ध हो सकते हैं। इस तकनीक का एक लाभ यह होगा कि जोत पर बोझ घटेगा, वहीं दूसरी ओर वैकल्पिक माध्यमों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और मजबूत बनाया जा सकता है जिसका लाभ अंत में पूरी अर्थव्यवस्था को मिलेगा। इसका दूसरा पहलू यह भी है कि अगर ग्रामीण स्तर पर ही खेती बाड़ी के अतिरिक्त दूसरी गतिविधियाँ के जरिये कार्य उपलब्ध हो जाए तो शहर की तरफ ग्रामीणों के पलायन में भी कमी आएगी। इससे शहरों में मूल संरचना पर दबाव को कम किया जा सकेगा और शहरों का भी विकास होगा जिसका फायदा अर्थव्यवस्था को प्राप्त हो सकेगा।

विकास का पैमाना

आजकल भारतीय नगरों एवं कस्बों के सतत विकास को लेकर भी बड़ी चर्चा हो रही है। लेकिन आज हमें विकास के इस पैमाने को ठीक से समझने की आवश्यकता है। हमारे लिए सतत का मतलब ऐसे दीर्घकालीन विकास से है जो बहुत अधिक केंद्रीयकृत न हो जाए। हमें विशाल महानगरों के बारे में विकास के दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता है। हम उनकी मूलभूत सुविधाओं का विस्तार कर उनकी कार्यप्रणाली को सुधार सकते हैं लेकिन जरूरी नहीं कि ऐसा करने से उनका जीवन स्तर भी सुधर जाए। आज किसी एक शहर पर केंद्रित विकास पर फोकस किये जाने के कारण अनेक समस्याएं पैदा हो रही हैं। हम समस्त संस्थाओं और रोजगार के अवसरों को शहरी क्षेत्र में केंद्रित कर रहे हैं, जिसके कारण उस क्षेत्र के छोटे कस्बों के लघु शिल्प और उद्यम बर्बाद हो रहे हैं। जिससे पलायन को बढ़ावा मिल रहा है साथ ही बड़े शहरों में भीड़–भाड़ बढ़ती जा रही है। बड़े शहरों की बढ़ती जनसंख्या को ठीक से रोजी–रोटी और सुख सुविधा नहीं मिलने से लोग परेशान हैं। ऐसे में बड़े शहरों में उनका आना भी किसी काम का नहीं होता और वे रोजगार के लिए दर–दर भटकते फिरते हैं।

आजकल बड़े शहर व्यस्तता, ऊर्जा की खपत, मानसिक तनाव तथा दिमागी थकान के गढ़ बनते जा रहे हैं। दिन–रात मेहनत करने के बाद भी लोगों में चैन नहीं है। बड़े पैमाने पर बनने वाली ब्रांडेड वस्तुओं को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए बड़े शहरों का विस्तार हो रहा है। इसके लिए निरंतर विशाल होते उत्पादन केंद्र, औद्योगिक परिसरें, परिवहन सुविधाओं के बढ़ते नेटवर्क तथा बहुमंजिली इमारतों के निर्माण के कारण लोगों के लिए परेशानी के नए रास्ते खुल रहे हैं। जिसके कारण दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और बेंगलुरु जैसे महानगर लगातार अनेक समस्याओं से जूझ रहे हैं। इन महानगरों में तेल, पानी, जमीन और मानवीय ऊर्जा जैसे निरंतर खपत वाले संसाधनों की आवश्यकता बेतहाशा बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ इन शहरों में जीवन की गुणवत्ता निरंतर घटती जा रही है। ऐसे में छोटे और सुंदर शहर लोगों को अच्छे लगते हैं। अगर हम छोटे कस्बों–शहरों में औद्योगिक समूह बनाएं तो औद्योगिक परिसरों के निर्माण और रख–रखाव की भारी लागत से बच सकते हैं। पैदल आने–जाने योग्य, शांत जीवन वाले परिवेश लोगों को मिल सकते हैं। ऐसा समृद्ध जीवन हर नागरिक को पसंद आएगा।

आपको याद होगा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी जी–7 समिट में भाग लेने 26 जून, 2022 को जर्मनी के दौरे पर गए थे। यहां द्विपक्षीय वार्ताओं के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी की एक छोटी सी पहल ने अंतरराष्ट्रीय मीडिया का खूब ध्यान आकर्षित किया था। वे G–7 के राष्ट्रीय अध्यक्षों को गिफ्ट देने के लिए ऐसी वस्तुओं को अपने साथ लेकर गए थे जो अब तक भारत के गांव और छोटे शहरों तक सीमित थी। माननीय प्रधानमंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन को वाराणसी में तैयार मीनाकारी ब्रोच और कफलिंग सेट, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को हाथ से प्लेटिनम पेंट की गई चाय का सेट उपहार में दिया था। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा को यूपी के निजामाबाद में बने काली मिट्टी के बर्तन तो वहीं अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडीज को छत्तीसगढ़ की डोकरा कला भेंट की। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो रेशमी कालीन के शिल्प कौशल और जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज मुरादाबाद की नक्काशी वाले मटके के मुरीद हो गए। G–7 समिट में शिरकत करने आए इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रैगी आगरा में तैयार मार्बल इनले टेबल टॉप अपने साथ लेकर गए। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की इस छोटी सी पहल ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय हुनर को न सिर्फ वैश्विक पहचान दी बल्कि 'वोकल फार लोकल' की व्यावसायिक अहमियत को स्थापित किया। दरअसल प्रधानमंत्री द्वारा G–7 के राष्ट्रीय अध्यक्षों को भेंट किए गए उपहार किसी बहुउद्देशीय कंपनी में तैयार उत्पाद नहीं थे, बल्कि ग्रामीण भारत में सैकड़ों सालों से मौजूद हुनर से तैयार सामान थे, जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हैं।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सिकुड़ने का कारण

औपनिवेशिक काल का दंश और फिर बाद में वर्षों की आर्थिक नीतियों में उपेक्षा के कारण इन वस्तुओं को अब तक जो पहचान मिलनी चाहिए थी वह नहीं मिल पाई। परिणामस्वरुप जहां ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आकार सिकुड़ने लगा वहीं देश को आत्मनिर्भर बनाने वाले गांव हर छोटी–बड़ी आर्थिक गतिविधियों के लिए शहरों पर केंद्रित होते गए। हालांकि ग्रामीण उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारों द्वारा संचालित एक जिला एक उत्पाद योजना (ओडीओपी) बहुउद्देशीय नतीजे लेकर आई है, लेकिन उसमें अभी संतोषजनक प्रगति दिखाई नहीं दे रही है। ओडीओपी के अंतर्गत केंद्र द्वारा 35 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के 710 जिलों में कम से कम एक–एक विशिष्ट उत्पाद का चयन किया जा चुका है। केंद्र की इस योजना में अपनी वस्तुओं को सम्मिलित करने के लिए राज्य प्रस्ताव भेजते हैं, जिस पर उन्हें केंद्र के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से मंजूरी मिलती है। इसकी एक खास बात यह है कि हस्तशिल्प, हथकरघा, खाद्य उत्पादों के साथ ही मोटर ऑटो पार्ट्स और छोटे इलैक्ट्रॉनिक व मशीनरी कंपोनेंट को भी जगह दी गई है।

उत्पादन और बिक्री से जुड़े सभी समाधान उपलब्ध कराने वाली इस योजना के विभिन्न घटक हैं। इनमें उत्पादकों को ऋण प्रदान करने से लेकर, निर्यात प्रोत्साहन, मानक व प्रमाणन, भंडारण के लिए सब्सिडी योजना, उत्पादकों का कौशल उन्नयन आदि प्रमुख है। ओडीओपी कॉमन फैसिलिटी सेंटर के तहत एमएसएमई के किसी प्रोजेक्ट को लागत का 90% ऋण प्रदान किया जाता है। आत्मनिर्भर भारत को मजबूती देने वाली इस योजना के लक्ष्य को हासिल करने के लिए वाणिज्य मंत्रालय, खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय जैसे विभिन्न मंत्रालय साझेदारी प्रयासों को एकीकृत रूप दे रहे हैं।

एक जिला एक उत्पाद योजना कच्चे माल की खरीद, सेवाओं की उपलब्धता और उसके विपणन की व्यवस्था से जुड़ी मूल्य श्रृंखला को प्रभावी बनाती है। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था में मांग और आपूर्ति का संतुलन बेहतर होने के साथ निर्यात के मोर्चे पर अभूतपूर्व परिणाम सामने आने की आशा है। योजना में छोटे कुटीर, हस्तशिल्प, दस्तकारी हुनरमंद लोगों की पूंजी, एवं तकनीक के वितरण की सुविधा प्रदान की जाती है। पूंजी निवेश के लिए व्यक्तिगत माइक्रो यूनिट के चयन में भी

ओडीओपी उत्पादों को प्राथमिकता दी जा रही है। 'वोकल फॉर लोकल' की टीम पर देश के कोने–कोने में तैयार हो रही वस्तुओं के लिए संस्थागत स्तर पर मार्केटिंग और ब्रांडिंग की सुविधा उपलब्ध है। प्रधानमंत्री मोदी के शब्दों में ''देश में प्रत्येक व्यक्ति के भीतर किसी ने किसी तरह का हुनर होता है, जरूरत ऐसे लोगों व संस्थाओं की क्षमता को पहचान कर उसके उन्नयन की है।'' यदि नीतिगत स्तर पर हम ऐसा करने में सफल होते हैं तो इसका प्रभाव देश के आर्थिक परिदृश्य पर ही नहीं बल्कि सामाजिक व अन्य क्षेत्रों पर भी स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगा।

यहां एक पहलू यह भी है कि अगर ग्रामीण स्तर पर ही कृषि के अतिरिक्त अन्य गतिविधियों के जरिए रोजगार के इंतजाम हो जाएं तो शहरों की तरफ पलायन में भी कमी आएगी। इससे शहरों में मूल संरचना पर दबाव को कम किया जा सकेगा और शहरों का भी समुचित विकास होगा जिसका अर्थव्यवस्था को लाभ मिलेगा। इसमें कोई शक नहीं कि ग्रामीण उद्योगों के लिए संभावनाएं अधिक हैं। कोविड काल के बाद बड़ी संख्या में शहर के लोगों की गांव वापसी के पश्चात स्थानीय स्तर पर उद्यमिता के कई सफल प्रयोग सामने आए हैं, फिर भी चुनौतियां कम नहीं हैं। सबसे बड़ी चुनौती तो बड़े बाजार तक उत्पादन को पहुंचाने की है। इसके साथ ही गांव–गांव तक मूल सुविधाओं की पहुंच हैं जिनमें वृहत्त पैमाने पर सुधार और बेहतर रख–रखाव की आवश्यकता है। तीसरी चुनौती समय पर पूंजी की उपलब्धता है। किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाकर किसान सम्मान निधि के तहत हर साल ₹ 6000 देकर ही आसानी से हासिल नहीं किया जा सकता। इसके लिए कई दूसरे प्रयास भी करने होंगे।

गांव में उद्यमिता के उत्प्रेरक हैं स्टार्टअप

स्टार्टअप संस्थाएं ग्रामीण औद्योगीकरण को बढ़ावा देने में उत्प्रेरक की भूमिका निभाती हैं। भारत सरकार ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम चलाया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश में नवोन्मेष और स्टार्टअप के पोषण के लिए एक मजबूत परिवेश का निर्माण करना है। उद्यमिता शिक्षा, अनुसंधान, प्रशिक्षण और संस्थान निर्माण के लिए एक मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय संसाधन संस्थान, भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान ने स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण आजीविका और रोजगार को बढ़ावा दिया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की एक उप–योजना भी है। संस्थान ने विगत दो वर्षों में स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम के अंतर्गत 7,600 से अधिक ग्रामीण उद्यम स्थापित किए हैं। यह कार्यक्रम बड़ी संख्या में गांवों में रहने वाले युवाओं के लिए स्थायी स्वरोजगार के अवसर पैदा करने के लिए समर्पित है। यह कार्यक्रम बैंकों और वित्तीय संस्थानों को ग्रामीण उद्यमियों के निकट लाने की दिशा में भी कार्य करता है।

राष्ट्रीय संसाधन संगठन के रूप में चयनित, भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान का लक्ष्य 31 मार्च, 2021 तक पांच–वर्षीय स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 36,000 ग्रामीण उद्यम स्थापित करना था, जो 2015–16 में शुरू हुआ था। संस्थान ने गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, पंजाब और उत्तर प्रदेश राज्यों के 42 ब्लॉकों में इस कार्यक्रम को लागू किया है। संस्थान ने अब तक ग्रामीण उद्यमों को धन उपलब्ध कराने के लिए 21.2 करोड़ रुपये का क्रेडिट लिंकेज प्राप्त करने में सहायता की है। सूक्ष्म–उद्यम देश में मौजूदा अपंजीकृत उद्यमों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य इन सूक्ष्म–उद्यमों में से अधिकांश को मुख्य धारा में लाना और उनके व्यवसाय मॉडल को वित्त पोषित करने में सहायता करना है।

स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम, दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 2016 से एक उप–योजना के रूप में लागू किया गया है। इसका उद्देश्य ग्रामीणों को गरीबी से बाहर निकालना,उनकी उद्यम स्थापना में मदद करना और

उद्यमों के स्थिर होने तक सहायता उपलब्ध कराना है। स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम उद्यमों को प्रोत्साहन देने के लिए वित्तीय सहायता और व्यवसाय प्रबंधन में प्रशिक्षण और स्थानीय सामुदायिक कैडर बनाते समय स्व–रोजगार अवसरों को उपलब्ध कराने पर ध्यान केंद्रित करता है।

स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम, ग्रामीण स्टार्टअप की प्रमुख समस्याओंः वित्त, और कौशल पारिस्थितिक तंत्र का निवारण करता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत गतिविधियों को रणनीतिक रूप से तैयार किया गया है, ताकि ग्रामीण उद्यमों को बढ़ावा दिया जा सके। इस कार्यक्रम का एक प्रमुख क्षेत्र संसाधन, उद्यम संवर्धन व्यक्तियों के समुदाय को विकसित करना है, जो स्थानीय है और ग्रामीण उद्यमों की स्थापना करने में ग्रामीण उद्यमियों की मदद करता है। इस इस कार्यक्रम का एक अन्य प्रमुख क्षेत्र स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम में ब्लॉक संसाधन केंद्रों को बढ़ावा देना है। यह सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों की निगरानी और प्रबंधन करता है और स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम के ऋण आवेदनों का मूल्यांकन करता है तथा संबंधित ब्लॉक में उद्यम संबंधी जानकारियों के भंडार के रूप में कार्य करता है। ब्लॉक संसाधन केंद्र प्रभावी और स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए स्थायी राजस्व मॉडल की सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कार्यान्वयन के प्रारंभिक वर्षों के दौरान, स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम ने संस्थान संरचनाओं को स्थापित करन और उन्हें मजबूत बनाने के लिए ग्रामीण समुदायों को प्रेरित करने, ब्लॉक संसाधन केंद्र सदस्यों के लिए व्यवसाय प्रबंधन पहलुओं पर प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण पर निवेश करने, उद्यमियों को अपने मौजूदा उद्यमों को आगे बढ़ाने में सहायता करने के साथ–साथ नए उद्यमों की स्थापना पर भी ध्यान केन्द्रित किया है।

निष्कर्ष

भारत तेजी से नवाचारों के लिए प्रजनन स्थल बनता जा रहा है। भारत ज्ञान–आधारित आर्थिक विकास मॉडल की ओर बढ़ रहा है और श्रम–प्रधान, पूंजी–प्रधान और विनिर्माण राष्ट्र के रूप में अपने लाभों को फिर से स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। भविष्य के रुझान स्टार्टअप्स के लिए ब्लॉकचेन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी), आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और मशीन लर्निंग आदि जैसी तकनीकों के साथ बदलाव और नवाचार करने के अवसर प्रदर्शित करते हैं। भारत जिस तरह के नीतिगत सुधारों की ओर बढ़ रहा है, उसमें स्टार्टअप एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। देर से ही सही, यह स्पष्ट हो गया है कि भारत का स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र की मुख्यधारा है। यह नौकरियां प्रदान करता है, उपभोक्ता की समस्याओं का समाधान करता है और विश्व के लिए नए उत्पाद हेतु मार्ग प्रशस्त करता है।

दरअसल प्रत्येक व्यक्ति को उद्यमी बनने के लिए प्रेरणा की जरूरत होती है उसे यह प्रेरणा बचपन से दी जाती है या विशेष प्रशिक्षण द्वारा दी जा सकती है। युवाओं के भाग्य को बदलने के लिए उनमें उद्यमिता की भावना का विकास करना बहुत जरूरी है। इसके लिए नियोजित ढंग से ठोस कदम उठाने होंगे। उद्यमिता की भावना पनपाने के लिए ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में युवाओं को संगठित करके उनके बीच जा कर उद्यमिता के संबंध में चर्चा करनी होगी। इसके महत्व एवं आवश्यकता से उन्हें परिचित कराना होगा। अभिभावकों की अपने बच्चों में बचपन से ही उद्यमी बनने की ललक पैदा करना होगा। इसके लिए अभिभावकों के सोच को बदलना होगा। अभिभावकों को यह समझना होगा कि आज के बदले हुए परिवेश में अपने लाडले के लिए नौकरी नहीं वरन सफल उद्यमी बनने के सपने संजोए। उद्यमिता विकास के लिए यह आवश्यक है कि हम अपने युवाओं तक उद्यमों से संबंधित नया ज्ञान, नई सूचनाएं एवं आवश्यक जानकारियां पहुँचायें ताकि वे आय पूरक बातों को सोच सकें।